भारत-रूस संबंधों में आएगी नई मजबूती

23 वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में दीर्घकालिक सहयोग पर गहन मंथन

नई दिल्ली, 04 दिसंबर. भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक संबंध आज भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूती से खड़ा है.

एक विश्लेषण के अनुसार, दोनों देशों की साझेदारी रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर विस्तार कर रही है. नई दिल्ली में आयोजित 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन को इसलिए और अधिक अहम माना जा रहा है क्योंकि यह वर्ष दोनों देशों की 25 वर्ष की

25 वर्ष की रणनीतिक और 15 वर्ष की साझेदारी का प्रतीक है दोस्ती

औपचारिक रणनीतिक साझेदारी और 15 वर्ष की विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को वर्ष 2030 तक आर्थिक सहयोग को विस्तृत करने वाली ठोस कार्ययोजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मॉस्को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की इंडिया स्टडीज प्रमुख और की वरिष्ठ फेलो लिडिया कुलिक ने कहा कि भारत-रूस संबंध उदाहरणीय, भरोसेमंद और स्थिर रहे हैं.

हाईटेक है पुतिन की लिमोजिन कार

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में सबसे अधिक चर्चा जिस चीज़ ने बटोरी, वह है उनकी हाई-टेक लिमोजनि कार 'ऑरस सीनेट', सुरक्षा और तकनीक के मामले में यह कार अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रसिद्ध कार 'द बीस्ट' को भी पीछे छोड़ देती है. लगभग 7.2 टन वजनी यह लिमोज़नि हर तरह के खतरों से मुकाबला करने में सक्षम है. इसकी 900 किलो वजनी हाइड्रोलिक डोर, 6 सेंटीमीटर मोटी बुलेटप्रूफ विंडोज, और 250 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित राष्ट्राध्यक्ष कारों में शामिल करती है.

5000 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में तैनात

सुरक्षा एजेंट्स राष्ट्रपति के आगमन से पहले आसपास के पूरे इलाके की गहराई से जांच करते हैं, जिसमें मानसिक अस्पतालों से हाल ही में छोड़े गए मरीजों का रिकॉर्ड तक खंगाला जाता है. इधर, दिल्ली में पुतिन के दौरे को लेकर 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. साथ ही ड्रोनरोधी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है. पुतिन के साथ निजी सुरक्षा टीम भी तैनात की है.

विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने देती सरकार

मोदी सरकार पर राहुल गांधी का गंभीर आरोप

नई दिल्ली, 04 दिसंबर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार में विपक्ष के नेता को विदेशी गणमान्य मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता है.

राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि पहले जो भी विदेशी मेहमान आते थे तो उन्हें विपक्ष के नेता से मिलने दिया जाता था. यह परंपरा मोदी सरकार के आने से पहले तक जारी रही है लेकिन अब नहीं मिलने दिया जाता. उनका कहना था कि विपक्ष के नेता का एक अलग दृष्टिकोण होता है और उसे

विदेशी गणमान्य अतिथि से मिलने की इजाजत होनी चाहिए लेकिन मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय इन मानदंडों का पालन नहीं करते हैं. रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर पूछे गये सवाल पर श्री गांधी ने कहा आमतौर पर यह परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह विपक्ष के नेता से भी मिलता है. सरकार उन्हें विपक्ष के नेता से नहीं मिलने के लिए कहती है. यह उनकी नीति है और वे हर बार ऐसा ही करते हैं.

मैं भी जब विदेश जाता हूं तो बताया जाता है कि सरकार का परामर्श है कि इनसे नहीं मिलना है. रूसी राष्ट्रपति के साथ संबंधों को लेकर पूछे गये एक प्रश्न पर उन्होंने कहा हमारे सभी के साथ संबंध हैं. एलओपी एक अलग दृष्टिकोण देता हैं. सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष बाहर से आने वाले लोगों से मिले जबकि मिलने की परंपरा रही है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस नियम और ऐसे मानदंडों का पालन नहीं करते हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया में कहा कि लोकतंत्र में देश में आने वाले गणमान्य मेहमान से मिलने की इजाजत देना अच्छा है.

नौसेना अनुशासन की मिसाल : केजरीवाल

नईदिल्ली, 4 दिसंबर. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नौसेना के वीर जवानों को सलाम करते हुए गहरी सम्मानभावना व्यक्त की.

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि भारतीय नौसेना समुद्र की गहराइयों से लेकर देश की सीमाओं तक अदम्य साहस, कठोर अनुशासन और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र की रक्षा में तैनात है. केजरीवाल ने अपने संदेश में नौसैनिकों को देश की ताकत, भरोसे और गर्व का प्रतीक बताया और पूरे देश की ओर से उन्हें नमन किया. उन्होंने जय हिन्द के साथ अपने संदेश का समापन करते हुए नौसेना के योगदान को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहा. केजरीवाल ने अपने संदेश में लिखा नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना के सभी वीर जवानों को सलाम. समुद्र की गहराइयों से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, आप देश की ताकत, भरोसा और गर्व हैं. आपके साहस, अनुशासन और समर्पण को पूरे देश की ओर से नमन.

अरविंद केजरीवाल ने मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि स्वराज कौशल भारतीय सार्वजनिक जीवन और विधिक जगत में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ गए हैं, जिसे सदैव याद रखा जाएगा. केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कौशल को विधिक क्षेत्र का उज्ज्वल नाम बताते हुए कहा कि उनका जाना देश के न्याय और प्रशासनिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा ईश्वर इस कठिन समय में उन्हें धैर्य प्रदान करे.

यूपी में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर घटी

एमएसएमई और स्किल मिशन ने बदली यूपी की तस्वीर

लखनऊ, 4 दिसंबर. उत्तर प्रदेश में रोजगार के मोर्चे पर पिछले आठ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

एक समय जहां प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, वहीं अब यह घटकर मात्र 2.4 प्रतिशत रह गई है. योगी सरकार का दावा है कि निवेश आकर्षित करने वाली नीतियाँ, उद्योगों को बेहतर माहौल और बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम इस परिवर्तन की बड़ी वजह हैं. एमएसएमई क्षेत्र में तेजी, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और रोजगार मिशन के असर से युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलने लगी है. इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि पलायन भी कम हुआ है. सरकार का मानना है कि यही रफ्तार यूपी को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी. यूपी रोजगार मिशन ने एक वर्ष में ही 1.25 लाख युवाओं को नौकरी देकर रोजगार बाजार को नई दिशा दी है. एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है. प्रदेश में वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई इकाइयाँ सक्रिय हैं, जिन्होंने दो करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं.

कौशल विकास मिशन भी युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है. 14 लाख प्रशिक्षित युवाओं में से 5.66 लाख को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है. महिलाओं की औद्योगिक भागीदारी भी बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सशक्तिकरण को बड़ा बल मिला है. सरकार का कहना है कि रोजगार और कौशल विकास के इस संयुक्त मॉडल ने स्थानीय स्तर पर नौकरी बढ़ाई है, जिसके चलते पलायन में कमी आई है. राज्य 2047 तक विकसित प्रदेश बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे

अमेरिका में पाक पीएम व आर्मी चीफ पर बैन की मांग

44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी

वॉशिंगटन डीसी, 4 दिसंबर. अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को चिट्टी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है. इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है. देश में आम लोगों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है. विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं. यह चिट्ठी डेमोक्रेटिक महिला सांसद प्रमिला जयपाल और सांसद ग्रेग कासर के नेतृत्व में लिखी गई है.

झारखंड में बदलाव की अटकलें तेज

रांची/नई दिल्ली, 4 दिसंबर. झारखंड में महागठबंधन में सबकुछ ठीक न चलने की अटकलें तेज हो गई हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम-कांग्रेस के बीच खटास के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अचानक दिल्ली गए. इसी दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने सियासी हलचल और बढ़ा दी.

कार्यालय जनपद पंचायत निवाली जिला बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक / / लेखा /जनपद / 2025 निवाली दिनांक

विज्ञप्ति

कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक / 8300/व. लि-1 /2025

बड़वानी दिनांक 04/12/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार शासकीय भवन का ध्वस्तीकरण /निस्तारण कार्य व् सूचि अनुसार सामग्री प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म से सीलबंद निविदाए (टेंडर) आमंत्रित की जाती है

विवरण

1. **कार्य का नाम** - जनपद पंचायत परिसर में स्थित पुराना जीर्ण शीर्ण भवन।
2. **अनुमानित लागत** - लोक निर्माण विभाग के द्वारा आकलन - 117500/- (एक लाख सत्रह हजार पांच सौ रूपये मात्र /-)
3. **निविदा प्रपत्र शुल्क** - 500 /- (गैर वापसी)।
4. **जमानत राशि (EMD)** (अंको में) 10000/- (शब्दों में) दस हजार रूपये मात्र /- ।
5. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व् समय** - 11.12.2025 (गुरुवार) सायं 05.00 बजे तक
6. **निविदा जमा करने का स्थान** - जनपद पंचायत निवाली
7. **निविदा खोलने की तिथि, समय व् स्थान** - 12.12.2025 (शुक्रवार) दोप.01.00 बजे स्थान - जनपद पंचायत निवाली

निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते है। निविदाए अपूर्ण अथवा विलम्ब से प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जावेगी। सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी समय समस्त निविदाए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
विरल पटेल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत निवाली, फोनः 87702-0303

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) ऊर्जा परिसर, जी.पी.एच. कैंपस, पोलोग्राउंड, इंदौर, ई-मेल : ceir.indore1@gmail.com
दूरभाष क्र. : 0731-2426305
क्र. मुख्य अभियंता/इंदौर क्षेत्र/ऑपरेशन/11553 इंदौर, दि. 03.12.25

माह नवंबर-2025 की अवधि में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर क्षेत्र द्वारा प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घण्टे

मैं, कामेश श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) इंदौर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश दिनांक 21.03.2005 के पालन में निम्नलिखित जानकारी माह नवंबर-2025 के संबंध में सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित करता हूं।

क्र.	विवरण	प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घण्टे		
		अक्टूबर-2025	नवंबर-2025	नवंबर-2024
1	संभागीय मुख्यालय	23:54:37	23:57:52	23:56:28
2	जिला मुख्यालय	23:50:20	23:55:23	23:56:10
3	तहसील मुख्यालय	23:43:44	23:50:23	23:51:07
4	घरेलू उपभोक्ता	23:34:38	23:40:23	23:43:00
5	सिंचाई उपभोक्ता	09:41:56	09:46:34	09:52:15

// बिजली की बचत कीजिए //

म.प्र. माध्यम/123335/2025 **मुख्य अभियंता (इं.क्षे.)**

FORM No.
[See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti Failing which by Publication.

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR

2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur - 482001, MP

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.

RC/487/2024 12-11-2025

CANARA BANK
Versus
M/S U. K. ENTERPRISES Yadav

To
(CD1) M/s U.K. Enterprises Yadav
M/s U.K. Enterprises, A Proprietorship Concern carrying on its Shop No. 321, First Floor, Dawa Bazar, 13 14, RNT Marg, Indore (M.P.), PIN - 452001
(CD2) Mr. Sandeep Yadav
Shop No. 321, First Floor, Dawa Bazar, 13 14, RNT Marg, Indore (M.P.), PIN - 452001
(CD3) Mr. Sandeep Yadav
R/o House No. 41, Bhawanipura Colony, Sudama Nagar, Indore (M.P.) PIN - 452009
(Borrower/Mortgagor)

Whereas you the **M/s U.K. ENTERPRISES** was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated **28.12.2024 in OA 1247/2023** to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of **Rs. 1,74,04,700/- (Rupees One Crore Seventy Four Lakhs Four Thousand Seven Hundred Only)** along with pendentellite and future interest @ 8.90% w.e.f. **08.11.2023** till realization and cots of **Rs. 150000 (Rupees One Lach Fifty Thousands only)** and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable/ Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **08.01.2026 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property

All Piece and parcel of Land, having Plot No. B-4, situated at Brijeshwari Annex, Indore (M.P.), Area Admeasuring 1800 Sq.ft., property in the name of Shri Sandeep Yadav S/o Shri Chhotelal.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **12/11/2025**

SEAL **Recovery Officer**
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR

काबरा ड्रग्स लिमिटेड

CIN: L02423MP1989PLC005438
पंजीकृत कार्यालयः 208, स्वदेश भवन, 2 प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452011, ईमेलः kabradrugs@gmail.com
वेबसाइटः www.kabradrugs.com

असाधारण आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") 26 दिसंबर 2025, शुक्रवार को प्रातः 09:00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें उक्त ईजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित कार्य संपादित किए जाएँगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी अपने सभी सदस्यों को भौतिक मतदान के विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों के लिए ई-वोटिंग वैकल्पिक है। जिंजर होटल, छोटी खैरानी, ए.बी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश 452008 को ईजीएम का स्थल माना जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी एमसीए परिपत्रों और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। 28 नवंबर, 2025 को सदस्यों को ईजीएम की सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 04 दिसंबर, 2025 को पूरा हो गया है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः (1) ईजीएम की सूचना में बताए गए सभी व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किए जा सकते हैंः (2) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार को समाप्त होगी। 25 दिसंबर 2025, शाम 5:00 बजे। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। (3) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की आउट-ऑफ तारीख शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 है। (4) ईजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करने वाले और कंपनी के सदस्य बनने वाले और कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति ईजीएम की सूचना और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। (5) जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ईजीएम में भाग लेने वाले और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालने वाले सदस्य ईजीएम के दौरान बैलट के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। (6) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ ईजीएम में मतदान करने का भी हकदार होगा। (7) ईजीएम बुलाने की सूचना, ई-वोटिंग (ईजीएम से पहले और उसमें) और ईजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और निर्देश की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी (जेईएस) के साथ पंजीकृत हैं। (8) वे सदस्य जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी (जेईएस) के साथ पंजीकृत नहीं है, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैंः

भौतिक होल्डिंगः कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को subhashdhingreja@skylinerta.com पर अपना अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) और पंजीकरण हेतु ईमेल पता प्रदान करें।

डीमैटः कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

किसी भी तकनीकी समस्या या प्रश्न का सामना करने वाले सदस्य, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें या 022-23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क करें।

ईजीएम नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.kabradrugs.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

काबरा ड्रग्स लिमिटेड के लिए
एसडी/-
स्थानः इंदौर
दिनांकः 05.12.2025 **नंजप्पन अरविंद, प्रबंध निदेशक**

IDBI BANK — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट-IV-क (नियम 9(1) के परन्तुक देखें)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत चिल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित संपत्ति के ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषतः सूचीत किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक **(सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्न वर्णित संपत्ति का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को आईडीबीआई बैंक (सुरक्षित लेनदार) के बकाया राशि वसूली करने हेतु **जहां है जैसा है, जो है जैसा है, जो कुछ भी है** के आधार पर **दिनांक 20.12.2025** को विक्रय किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम	1) मांग सूचना दिनांक 2) कब्जा दिनांक 3) मांग सूचना अनुसार बकाया राशि	1) आरक्षित मूल्य 2) धरोहर राशि (EMD) 3) बिड वृद्धि राशि	अचल संपत्ति का विवरण (इन्दौर (म.प्र.) स्थित अचल संपत्ति का प्रत्येक भाग एवं समूह जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास बंधक है)
	क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001 EMD Submission A/c Details : IDBI BANK LIMITED No : 528134915010026, IFSC Code : IBKL0000001 DD Should be drawn in favour of IDBI Bank Ltd., A/c No.: 528134915010026 payable at Sanawad Branch issued by any Nationalised Bank/ Scheduled Bank as (EMD)			
1.	1. श्री आशीष गंगराडे (ऋणी), 2. श्रीमती ज्योती गंगराडे (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता) 3. स्व. श्रीमती प्रभा गंगराडे (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता) इनके कानूनी उत्तराधिकारी: (अ) श्री आशीष गंगराडे माता स्व. श्रीमती प्रभार गंगराडे (ब) श्री सुनील कुमार गंगराडे माता स्व. श्रीमती प्रभार गंगराडे (स) श्री सुशील कुमार गंगराडे माता स्व. श्रीमती प्रभार गंगराडे 4. श्री सुनील कुमार गंगराडे (सह-ऋणी)	1) 16.12.2023 2) 19.09.2024 3) 76,64,877.71/- 10.10.2023 के अनुसार + उसके बाद लागू होने योग्य ब्याज खर्चे एवं चार्जेस	1) ₹ 47,70,000/- 2) ₹ 4,77,000/- 3) ₹ 10,000/-	**संपत्ति 1:** संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 243 (पुराना नं. 217) में शामिल एवं उसका हिस्सा बनने वाली भूमि, वार्ड नं. 15, भवानी रोड, तमोली मोहल्ला, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.), **प्लाट का क्षेत्रफल: 700 वर्गफीट (65.05 वर्गमीटर), मालिक: श्रीमती प्रभा बाई गंगराडे, चर्तु:सीमा: उत्तर:** बाबु माली का मकान, **दक्षिण:** भवानी रोड, **पूर्व:** श्री पार्वती बाई पिता हीरालालजी गंगराडे का मकान उसके बाद गली, **पश्चिम:** सड़क
			1) ₹ 37,21,000/- 2) ₹ 3,72,100/- 3) ₹ 10,000/-	**संपत्ति 2:** संपत्ति के सभी प्रमुख अंग भूमि जो अचल संपत्तियों का हिस्सा है एवं उसमे शामिल है, वार्ड नं. 15, सर्वे नं. 96/1, रकबा 0.757 एकड़ पैकी, प्लाट नं. 5/1, पटवारी हल्का नं. 50, मौलाना आजाद मार्ग, बैंक कॉलोनी, सनावद, **क्षेत्रफल: 1160.80 वर्गफीट (107.84 वर्गमीटर), मालिक: ज्योती गंगराडे, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 5/2 (मालिक कमलेश जैन), **दक्षिण:** प्लाट नं. 4, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** दिनेश ब्रदर्स की भूमि

महत्वपूर्ण तिथियाँ

धरोहर राशि/ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि	: 18.12.2025 सायं 4 बजे तक
निरीक्षण की दिनांक एवं समय	: 11.12.2025 से 12.12.2025 समय प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक
बिड वृद्धि राशि	: रु. 10,000/- से
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	: 20.12.2025 प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रत्येक 5 मिनिट के असीमित विस्तार के साथ (यदि आवश्यक हो)

ब्रिकी की विस्तृत नियमों व शर्तों के लिए, कृपया **https:/www.bankeauctionwizard.com** एवं आईडीबीआई की वेबसाईट यानि **https://www.idbibank.in** पर दिये गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी, **क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001, फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279** से संपर्क कर सकती है।

सरफेसी अधिनियम 2022 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पहले ब्याज सहित उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि यदि कोई ब्याज सहित उनसे वसूल की जाएगी। ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार ऋणियों/जमानतदारों संभावित खरीदार को ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी ला सकते है।

स्थान: इंदौर, दिनांक: 05.12.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

Form No. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh & Chattisgarh)
Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Original Application No. 1110/2025

Applicant : Central Bank of India,
VERSUS
Defendants : M/s Sandhya Industries and Another

To,
1. **M/s Sandhya Industries,**
Through its proprietor: Mrs. Sheekha Namdev
Khasra No. 244/2/1, Gram Sinhasa, Dhar Road,
District Indore (M.P.) 453111
Mrs. Sheekha Namdev W/o Shri Jayesh Namdev
404, Aaradhana Nagar, Indore (M.P.) 452009

Wheareas, OA No. 1110/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 03.09.2025.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 30,96,501.36/-**.

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original Application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear on **29.01.2026** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **21st of November 2025.**

SEAL **Authorised Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

Form No. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh & Chattisgarh)
Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Original Application No. 1099/2025

Applicant : Central Bank of India,
VERSUS
Defendants : DOPAMINE and others

To,
1. **DOPAMIN (A Partnership Firm)**
Through its Partner: 1. Mr. Rahul Kumar Meena S/o Rajesh Lal Meena
2. Mr. Ashok S/o Nathulal
26-C, Ground Floor, Maloo 01, Ring Road, Scheme No. 94-C, Indore, Madhya Pradesh - 452001
2. **Mr. Rahul Kumar Meena S/o Rajesh Lal Meena**
46-C, Mayur Nagar, Gali No. 11, Indore, Madhya Pradesh 452001
3. **Mr. Ashok S/o Shri Nathulal**
Gram - Rudaheda, Post Ujjainiya, Ujjain, Madhya Pradesh 456550

Wheareas, OA No. 1099/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 03.09.2025.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 1,86,33,867.80.36/-**.

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original Application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear on **29.01.2026** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **21st of November 2025.**

SEAL **Authorised Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur